

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

संचिका सं०- 09/निधि-स्कीम(0101-प्रशिक्षण एवं शोध)-02-12/2026

30 (S) MeA

27/05/26 पटना, दिनांक-

सेवा में, मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग, (आवंटन विवरणी के अनुसार)।

विषय :- मुख्य शीर्ष-3054 सड़क तथा सेतु, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, मॉग सं०-41, उपशीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं शोध, विषय शीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-41-3054800030101 के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

आदेश :- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-7 में अंकित पत्र के आलोक में संबंधित कार्यालय को स्तम्भ-5 में अंकित राशि ₹45,000/- (पैंतालिस हजार रूपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यालय को अबतक कुल आवंटित राशि स्तम्भ-6 के अनुसार हो जायेगी।

- 2 यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2026-27 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
- 3 यह व्यय मुख्य शीर्ष-3054 सड़क तथा सेतु, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष- 003- प्रशिक्षण, मॉग सं०-41, उप शीर्ष-0101-प्रशिक्षण एवं शोध, विषय शीर्ष-0101.20.03-प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड- 41-3054800030101 से विकलनीय है।
- 4 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 236/वि. दिनांक- 09.03.2026 एवं पत्रांक-314 /वि. दिनांक-01.04.2026 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 5 प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-6439 दिनांक-28.08.18 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
- 6 आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार CFMS के माध्यम से किया जायेगा।
- 7 यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
- 8 आवंटित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
- 9 चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि से होने वाली संभावित बचत राशि का प्रत्यपण दिनांक- 15.02.2027 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय।
- 10 प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- 11 इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(अंजनी कुमार)


संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

संचिका सं०- 09/निधि-स्कीम(0101-प्रशिक्षण एवं शोध)-02-12/2026

30 (5) <sup>वेफ</sup>


पटना, दिनांक- 27/5/26

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सचिव कोषांग, प०नि०वि०, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, प०नि०वि०, पटना/ मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), प०नि०वि० / संयुक्त सचिव (प्र०को०), प०नि०वि०, पटना / संबंधित मुख्य अभियंता, प०नि०वि० / संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, प०नि०वि०/ अधीक्षण अभियंता (बजट), प०नि०वि० / कार्यपालक अभियंता (बजट -2), प०नि०वि०/ अवर सचिव (बजट), प०नि०वि०/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-9 / लेखा शाखा, प० नि० वि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।



(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।


### आवंटन विवरणी

संचिका सं०- 09/निधि-स्कीम(0101-प्रशिक्षण एवं शोध)-02-12/2026

30 (5) <sup>वेफ</sup>


पटना, दिनांक- 27/5/26

क्र० सं०	कार्यालय/ प्रमंडल का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है ।	कार्य का नाम	शीर्षान्तर्गत पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), पथ निर्माण विभाग, यॉत्रिक उपभाग, पटना	IRC द्वारा Road Safety Solutions विषय पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में भाग लेने हेतु	0	30,000	30,000	135 / 21.04.2026
2	अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा	Registration Fee	0	15,000	15,000	811 / 06.05.2026
कुल योग -			0	45,000	45,000	
वर्तमान आवंटन (शब्दों में) पैंतालिस हजार रुपये मात्र ।						



(अंजनी कुमार सुमन)

मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।



(अंजनी कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

